

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 433]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 नवम्बर 2019—कार्तिक 11, शक 1941

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

शनिवार, दिनांक 2 नवम्बर, 2019 (कार्तिक 11, 1941)

क्र. 17215-म.प्र.वि.स.-15-विधान-2019.—मध्यप्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 58-पवई से निर्वाचित सदस्य, श्री प्रहलाद लोधी के विरुद्ध दाखिल सत्र प्रकरण / विशेष प्रकरण (पी. पी. एम.) क्रमांक 22/2019 संस्थित दिनांक 30 दिसम्बर 2014, पर इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एम. पी./एम. एल. ए.), भोपाल द्वारा अपराध सिद्ध होने के फलस्वरूप दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को दो वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के कारण मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2013 के पालन में संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (e) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत श्री प्रहलाद लोधी उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 से विधान सभा की सदस्यता हेतु निरर्हित हो गए हैं. अतः मध्यप्रदेश विधान सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.